दुकानदार का बीमा

(दुकान बीमाधारक के स्वामित्व में)

अनुभाग - 1 : अग्नि एवं संबंधित जोखिम

क) **बिल्डिंग :** (केवल क्लास ए निर्माण के लिए)

ख) **सामान :** (रुपये-पैसे / मूल्यवान वस्तुएं छोड़कर)

आवरित जोखिम : रु. 10 करोड़ तक

1) अग्नि एवं इससे संबंधित जोखिम, भूकंप

<u>आतंकवाद कवर (अतिरिक्त वैकल्पिक प्रीमियम) :</u> पूल के दिशानिर्देशों के अनुसार

अनुभाग - 2 : डकैती और सेंधमारी

बिल्डिंग में रखे गए सामान का बीमा मूल्य ऊपर अनुभाग 1 (ख) में दर्शाए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए (रु. 10 करोड़ तक)

अनुभाग - 3 : मार्गस्थ नकदी (रुपये - पैसे का बीमा)

क) मार्गस्थ नकदी (रु. 25 लाख से अधिक नहीं)

ख) तिजोरी में (रु. 25 लाख तक)

ग) काउंटर पर कारोबार के घंटों के दौरान रु. 5 लाख तक ।

अनुभाग - 4 : पेडल साइकिल

अनुभाग - 5 : प्लेट ग्लास

रु. 15 लाख तक

अनुभाग - 6 : निऑन / ग्लो साइन

संपूर्ण साइन बोर्ड की चोरी सहित रु. 10 लाख तक

अनुभाग - 7 : बैगेज बीमा

रु. 1.5 लाख तक

अनुभाग - 8 : व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा - दिशानिर्देशों के अनुसार

अनुभाग - 9 : निष्ठा गारंटी

प्रति व्यक्ति रु. **5** लाख तक तथा सकल रु. **25** लाख

अनुभाग - 10 : जन देयता

क) रु. **5** लाख तक

ख) कामगार मुआवजा कवर – मजदूरी के अनुसार

अनुभाग - 11 : लाभप्रदता की हानि के लिए कवर - अग्नि मुनाफे की क्षति के अनुसार

संपत्ति का विवरण	:	अनुभाग - 1 के अनुसार
बीमित राशि	:	अनुभाग - 1 (ख) के अनुसार
दरें	:	अनुभाग - 1 (ख) के अनुसार

SHOPKEEPERS INSURANCE

(Shop owned by insured)

Section - I : Fire & Allied Perils

(A) **Building :** (of class A construction only)

(B) **Contents :** (Excluding Money / Valuables)

Risk Covered : up to Rs. 10 Crores

1) Fire & Allied perils, Earthquake

<u>Terrorism Cover (Extra Optional Premium) :</u> as per pool guidelines

Section - II : Burglary and Housebreaking

Insurance on contents should be for value equivalent to the value of Section - I B as above. (upto Rs. 10 Crores)

Section - III : Cash in Transit (Money Insurance)

A) Money in transit (Not exceeding upto Rs. 25 lacs)

B) In safe (upto 25 lacs)

C) In till/counter upto 5 lacs during business hours.

Section - IV : Pedal Cycle

Section - V : Plate Glass

Upto 15 lacs

Section - VI : Neon / Glow sign

Incl. theft of the whole signboard upto 10 lacs

Section - VII : Baggage Insurance

upto 1.5 lacs

Section - VIII : Personal Accident Insurance - as per guidelines

Section - IX : Fidelity Gurantee

P. P. upto 5 lacs agreegate 25 lacs

Section - X : Public Liability

A) Upto 5 lacs

B) Workmen compensation cover - as per wages

Section - XI : Loss of Profit Cover - as per Fire LOP

Description of property	:	As in section - I
Sum Insured	:	As in section - IB
Rates	:	As in section - IB

टिप्पणी :

1) अनुभाग 1 ख और 2 अनिवार्य है + कोई 2 सारणियाँ अर्थात कुल 4 सारणियाँ अनिवार्य हैं ।

2) जोखिम और समूह छूट : हाउस होल्डर पॉलिसी के अनुसार ।

3) बीमा के अंतर्गत, केवल अनुभाग 1 के अंतर्गत बीमा राशि के 15% की राशि की छूट दी जा सकती है ।

4) अग्नि वर्ग के अंतर्गत आधिक्य, अग्नि पॉलिसी के सामान्य अपवर्जन के अनुभाग 2 के अनुसार अर्थात न्यूनतम रु. 10,000 तथा अधिकतम रु. 25,000 की शर्त पर दावा राशि का 5% ।

5) यदि बीमाधारक लाभप्रदत्त की हानि का कवर लेता है तो (अनुभाग 11) तब उसे अनुभाग 1 और 2 की सारणी लेनी होगी तथा शेष 9 अनुभागों से कोई भी 2 सारणियाँ चुन सकता है । वह शेष दो में से लाभप्रदता कवर चुन सकता है ।(अर्थात पॉलिसी लेने के लिए न्यूनतम 4 कवर लेने की आवश्यकता है)

आवरण :

अग्नि : यह अनुभाग अग्नि के विरुद्ध और इससे संबंधित जोखिमों जैसे कि तड़ित, गैस अप्लाएंस के कारण विस्फोट, वाटर टैंक अथवा पाइप फटना, उपद्रव एवं हड़ताल यहां तक कि भूकंप से हानि, भूघसकन, तूफान और चक्रवात तथा अन्य दुर्भावनाजन्य कार्य भी आवरित हैं ।

चोरी : यह कवर चोरी और सेंधमारी के कारण परिसर में संपत्ति की हानि और टूटफूट के विरुद्ध प्रदान किया जाता है ।

धन : यह कवर कैशियर की अलमारी, काऊँटर या तिजोरी/स्टील की अलमारी अथवा मार्गस्थ, धन (बैंक तक लाने/लेजाने तक) के लिए चोरी, सेंधमारी व राहजनी के विरुद्ध प्रदान किया गया है ।

पेडल साइकिल : पेडल साइकिल को नुकसान अथवा टूटफूट तथा रु. 10,000/- की जनदेयता सहित उपसाधनों के लिए है ।

प्लेट ग्लास : यह कवर व्यापारिक परिसर या शो विंडो के दुर्घटनावश/दुर्भावनापूर्ण टूटफूट के विरुद्ध है ।

निऑन साइन : यह कवर, दुर्घटनाओं, अग्नि व संबंधित जोखिमों, उपद्रव व हड़ताल के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध है ।

बैगेज बीमा : दुर्घटना / चोरी के विरुद्ध

व्यक्तिगत दुर्घटना : व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार दुर्घटना जोखिम

निष्ठा गारंटी : कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी के विरुद्ध कवर प्रदान करता है ।

Note :

1) Section IB & II are compulsory + any 2 tables i. e. total 4 tables are compulsory.

2) Risk & Group discount : As per Householder Policy.

3) Under insurance up to 15% of the sum insured is waived under Section I only.

4) Excess under fire Section as per section-2 of general exclusion of Fire Policy, i.e. 5% of claim amount subject to minimum of Rs. 10,000 & maximum Rs. 25,000.

5) If insured takes LOP cover (Section XI) then he has to take section I & II table and any 2 tables of the remaining 9 sections. He may opt LOP as one of the remaining two (i.e. minimum 4 sections are required to be covered to avail the policy.)

COVERAGE :

Fire : This Section offers covers against fire and allied perils like lighting, explosion due to gas appliances, bursting of water tanks or pipes, riots and strikes. Even damages due to earthquake, subsidence, storms and cyclone and other malicious acts are covered.

Burglary : Cover against loss and damage to the property in the premises due to burglary and housebreaking.

Money : Money in the cashier's till or at the counter, or in safes / steel cupboards, or whilst being carried to / from the bank against theft, burglary and hold-up.

Pedal Cycle : Damage or loss to pedal cycles and accessories including Public liability of Rs. 10,000/-.

Plate Glass : In the business premises or the show-windows against accidental and / or malicious breakage.

Neon Signs : Insured against loss or damage due to accidents, fire and allied perils, riots and strikes.

Baggage Insurance : Against theft / accident.

Personal Accident : Accidental Risk as per Personal Accident.

Fidelity Guarantee : Covered against fraud or dishonesty by employees.

जन देयता : तृतीय पक्ष की दुर्घटना / कानूनी देयता / अदालती निर्णय के अध्यधीन ।

व्यापार में व्यावधान : यदि अनुभाग I के अधीन दावा देय है तो एल. ओ. पी. पॉलिसी के अनुसार लाभ की हानि / अनुषंगिक व्यय आवरित होंगे ।

दावा प्रक्रिया / जरुरतें :

1) पॉलिसी संख्या, दुर्घटना / क्षति की तिथि, क्षति की अनुमानित राशि, आदि विवरण देते हुए तथा पॉलिसी की प्रति के साथ यथा शीघ्र सूचना ।
2) दावा प्रपत्र
3) सर्वेक्षण
4) यदि दावा अग्नि, सेंधमारी, धनबीमा, बैगेज आदि के अंतर्गत है तो अग्निशमन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा, अंतिम रिपोर्ट ।
5) माँगे जाने पर अन्य कागजात ।

एक ऐसा पैकेज जो दुकान के मालिक को सारे जोखिम बीमा कंपनी को सौंपते हुए अपना व्यापार स्वतंत्र हो कर चलाने का अवसर प्रदान करता है । खुदरा व्यापार को चलाने संबंधी सभी जरुरतों के लिए हर प्रकार का बीमा समाधान है यह पैकेज ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इन्डिया एश्योरन्स कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

''बीमा आग्रह की विषय वस्तु है''

Public Liability : Accident to third party subject to legal liability / through court.

Business Interruption : If the claim is payable under section - I than loss of profit / incidental expenses as per LOP policy held covered.

CLAIM PROCEDURE / REQUIREMENT :

1) Intimation at the earliest giving details of Policy No., Date of Accident / Loss, Approximte loss Amount, Copy of Policy.
2) Claim Form
3) Survey
4) If claim under fire, Burglary, Money Insurance, Baggage etc. than Fire-Brigade Report, F.I.R., Panchnama, Final Report.
5) Other document if asked for.

A package that offers the shop owner the opportunity to manage his business leaving the risk factors to his insurer. An umbrella cover for overall insurance solutions for a variety of requirements for managing retail business.

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. प्रीमियर, बहुराष्ट्रीय गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 2472 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the Premier, Multinational the non-life insurance company with more than 2472 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम **राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा, माइक्रो बीमा, सार्वभौमिक आरोग्य बीमा** और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to **Rajrajeshwari Mahila Kalyan Insurance Policy, Micro Insurance Policy, Universal Health Insurance Policy** and a lot more.

NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Company Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय / Head Office

न्यू इन्डिया एश्योरंस बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)

सी.आई.एन. संख्या / CIN No. : L66000MH1919GOI000526

Website : www.newindia.co.in

Vaikunth Prints
vaikunth_p2009@yahoo.in

आपकी दुकान के लिए संपूर्ण

सुरक्षा

Overall SURAKSHA for your Shop

हम आपकी **दुकान** की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure your Shop is Secured

NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Company Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

आपकी आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता हैं

Your financial security is our prime concern